–: परिशिष्ट–ए :–

स. क्र.	सामग्री	नग / किग्रा. / लीटर	जी.एस.टी. प्रतिशत	कुल राशि (सभी कर सहित)
1	फिनाईल कम्पाउण्ड (प्योर)	150 लीटर		
2	डस्टिंग क्लाथ	200 नग		
3	पौछा क्लाथ	200 नग		
4	मोप पौछा	200 नग		
5	स्वीपर झाडू (बांस डंडा)	200 नग		
6	फूल झाडू	200 नग		
7	ऑडोनील बाथरूम फ्रेशनर	200 नग		
8	रूम फ्रेशनर	200 नग		
9	डेटाल हेण्डवाश	400 नग		
10	एसिड	200 लीटर		
11	हारपिक टॉयलेट क्लीनर	200 नग		
12	निरमा सर्फ पाउडर	50 कि.ग्रा.		
13	डेटाल साबुन (बड़ी)	150 नग		
14	टाईड सर्फ पाउडर	30 किलो		
15	कॉलिन (500 एम.एल.)	20 नग		
16	रिन साबुन (बड़ी)	60 नग		
17	घड़ी साबुन (बड़ी)	60 नग		
18	ऑल आउट रिफिल	500 नग		
19	ऑल आउट मशीन	200 नग		
20	सफेद टाविल	150 नग		
21	सफेद टाविल नेपकिन	150 नग		
22	काला हीट	150 नग		
23	लाल हिट	100 नग		
24	डस्टबिन छोटे (ढक्कन वाले)	300 नग		
25	बाल्टी	100 नग		
26	मग्गे	100 नग		

टीप :–

1. उपरोक्त तालिका में जिन सफाई सामग्री की कम्पनी का नाम दर्शित है, उन्हीं कम्पनी की सामग्री की दर निविदाकर्ता प्रस्तुत करे एवं जिन सफाई सामग्री की कम्पनी का नाम दर्शित नहीं है, उनमें निविदाकर्ता द्वारा प्रदाय की जाने वाली सामग्री की कम्पनी का नाम दर्शित किया जावे।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला इंदौर(म.प्र.)

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
नाम एवं पता :–

परिशिष्ट–बी

तकनीकी विड में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

क्रमांक	दस्तावेजों का विवरण	रिमार्क
1	वित्तीय, तकनीकी विड एवं ई.एम.डी के अलग अलग लिफाफे	
2	ई.एम.डी / डी.डी. / एफ.डी.आर. क्रमांक, दिनांक एवं राशि का विवरण	
3	पेन नंबर	
4	आयकर विवरण	
5	जीएसटी रजिस्ट्रेशन	
6	MPTreasury के माध्यम से शासन का हैड मे जमा कर चालान राशि 500 / – का विवरण	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम एवं पता :–

कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला इन्दौर(म.प्र.)

: : निविदा शर्तें : :

1– सील बंद निविदायें जिला न्यायाधीश, इंदौर के नाम से दिनांक 02.09.2025 को दोपहर 02:00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। उक्त निविदा दिनांक 02.09.2025 को सांय 05:00 बजे निविदाकर्ताओं के समक्ष जिला न्यायालय में गठित निविदा समिति द्वारा खोली जाएगी। संविदाकार द्वारा निविदाएं दो सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जावेगी जिसमें एक लिफाफा तकनीकी निविदा एवं दूसरा लिफाफा वित्तीय निविदा का होगा। तकनीकी निविदा में पात्र निविदाकर्ताओं की ही वित्तीय निविदा के संबंध में समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

2– जिस सामग्री के संबंध में निविदा प्रस्तुत की जा रही है, उसका नाम निविदा फार्म पर स्पष्ट लिखा जावे।

3– नियत दिनांक एवं समय के पश्चात् निविदा प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जावेगा।

4– आदेश अनुसार सामग्री न्यायालय तक पहुंचाए जाने का समस्त दायित्व निविदाकार का होगा।

5– प्रधान जिला न्यायाधीश इंदौर को यह अधिकार होगा कि निविदा खोलते समय यदि किसी सामग्री की दर अन्य निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दरों से अपेक्षाकृत कम है तो ऐसी स्थिति में दरों के आधार पर एक से अधिक निविदाकर्ताओं से पृथक पृथक अनुबंध किया जा सकता है एवं बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को निरस्त कर सकते है।

6– निविदा में प्रत्येक सामग्री किस कंपनी द्वारा निर्मित है, सामग्री का साईज नाप, तौल आदि निविदा में अंकित करना अनिवार्य है।

7– निविदा एवं निविदा के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों में निविदाकर्ता के हस्ताक्षर व सील होना आवश्यक है।

8– निविदाकार द्वारा दी गई सूची की सामग्री आवश्यकतानुसार स्वीकृत दर एवं मात्रा पर प्रदाय करने हेतु निर्धारित तिथि तक बाध्य होगा।

9– प्रदाय की गई कोई भी सामग्री चाही गई कंपनी की न होने पर अथवा उससे निम्न स्तर की होने की दशा में ऐसी सामग्री निविदाकार को अपने व्यय पर वापस उठाना होगा तथा कंपनी के अनुसार सामग्री अतिशीघ्र प्रदाय करनी होगी।

10– निविदा मे प्रत्येक सामग्री का स्पष्ट विवरण होना चाहिए, एवं प्रत्येक सामग्री का सेम्पल होना चाहिए, जो सेम्पल प्रस्तुत नही करेगा, उसकी निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

11– निविदा से सम्बंधित शर्ते एवं प्रदाय किए जाने वाले सामान की सूची उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की वेबसाईट www.mphc.gov.in, एवं जिला न्यायालय इन्दौर की वेबसाईट www.districts.ecourts.gov.in/indore से डाउनलोड किया जा सकता है।

12– निविदा आवेदन पत्र मय शर्तो एवं सामग्री सूची तथा राशि 500/– MPTreasury आनलाईन के माध्यम से शासन का हैड '0070–01–800–0000' मे जमा कर चालान की मूलप्रति प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर के नाम से प्रस्तुत की जायेगी तथा राशि 500/– किसी भी स्थिति मे वापसी योग्य नही होगी।

13– सामग्री का आदेश प्राप्त होने पर सामग्री निर्धारित अवधि मे प्रदाय करनी होगी।

14– निविदा की दरें अनुबंध दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य होगी एवं अनुबंध आपसी समझौते पर और विक्रेता के संतोषजनक प्रदर्शन की अधीन अनुमोदित दरों पर आगामी नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है। सफल निविदाकार द्वारा जिला न्यायालय से अनुबंध किया जाना आवश्यक होगा। अनुबंध का व्यय सफल निविदाकार द्वारा वहन किया जायेगा।

15– निविदाकार, वाणिज्यकर/जीएसटी पंजीयन होने का जीवित प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें तथा साथ ही फर्म ने आयकर अदा किया है उस पर कोई कर बकाया नहीं है स्पष्ट करें।

16– सफाई सामग्री की सूची के अनुसार जिन सामग्रियों के निर्माता कंपनीयों के नाम अंकित है, केवल उन्हीं कंपनियों के सामग्री की दर देवें। अन्यथा मान्य नहीं होगी।

17– निविदाकारों को निविदा की प्रतिभूति(Earnest Money Deposit) क्रय की जाने वाली सामग्री के रूप में 10000/–(अक्षरी रूपये दस हजार मात्र) की ईएमडी/डी.डी./एफडीआर के रूप में निविदा के साथ जमा करनी होगी, जो कि 31–मार्च–2026 तक वैध हो। असफल निविदाकर्ताओं की ईएमडी राशि निविदा की अंतिम तिथि के समाप्ति के अधिकतम 30 दिवस के अंदर लौटाई जावेगी।

18– सफल निविदाकर्ता से आवश्यकतानुसार निष्पादन प्रतिभूति(Performance Guarantee) संविदा के मूल्य का 03% होगी जिसकी वैधता अवधि न्यूनतम 60 दिवस का होना आवश्यक होगा जिसे डी.डी./एफडीआर के रूप में निविदा के साथ जमा करनी होगी। निष्पादन प्रतिभूति(Performance Guarantee) प्राप्त होने पर सफल निविदाकार की ईएमडी राशि लौटाई/समायोजित की जायेगी।

19– सभी सफाई सामग्री के ब्रान्डेड/नॉन ब्रॉडेंड के नमूने निविदा खोली जाते समय निविदा समिति द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

20– किसी भी शर्त के भंग होने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदौर को अनुबंध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा सुरक्षा निधि राजसात कर जी जाएगी।

21– शासन द्वारा लागू जीएसटी की दरें अधिक या कम होने पर विचारणीय होगा।

22– सम्पूर्ण सामग्री की दरें समस्त करों सहित दी जाये।

23– **<u>वित्तीय/तकनीकी लिफाफे–</u>** निविदाकर्ता पृथक–पृथक वित्तीय, तकनीकी एवं ईएमडी की राशि वाले लिफाफे तैयार कर उन पर वित्तीय, तकनीकी विड, ईएमडी लेख करते हुए उक्त तीनों लिफाफों को चौथे लिफाफें में मुहरबंद कर निविदा प्रस्तुत की जाएगी।

24– निविदा खोली जाते समय सर्वप्रथम तकनीकी विड एवं ईएमडी की राशि के लिफाफे खोले जाएंगे जिस निविदाकर्ता द्वारा ईएमडी की राशि एवं तकनीकी विड से संबंधित चाहे गए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे उन निविदाकर्ताओं की निविदा पर वित्तीय विड के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा। तकनीकी विड में सफल निविदाकर्ताओं के ही वित्तीय पेड के लिफाफे खोले जाएंगे।

25– निविदा द्वारा सामग्री की जो भी दरें दी गई है, वह एक वर्ष के लिए यथावत रहेगी निविदाकारों द्वारा किसी भी वस्तु की दर बढ़ाने हेतु किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

26– निविदा प्रस्तुत करते समय निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी हेतु श्री कैलाश नान्दले मोबाईल नंबर 9926840249 एवं श्री किशोर कड़वे मोबाईल नंबर 8109273476 पर संपर्क किया जा सकता है।

27– निविदा में निविदाकर्ता द्वारा दरों पर किसी प्रकार की कांट/छाट(Overwriting) होने पर निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला इंदौर(म.प्र.)

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
नाम एवं पता :–